6/11/19

जमानती पेश हुए। वकील याचिका अनुपस्थित।
वकील याचिका एवं याचिका को बार
बार बुलाया गया न्यायालय समय में
न्यायालय समय समाप्ति तक उपस्थित
नहीं आये। विपक्षी वकील याचिका
एवं याचिका की ओर से कोई उपस्थित
नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में याचिका
को [illegible] [illegible] [illegible] में
खारिज किया जाता है। जमानती का
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Agarwal
Date: 2019.11.22 11:47:01 IST
Reason: SelfAttested